Misc 1591-PBR/03

By Regd. AD

::: न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर म०प्र० :::

क्रमांक। 19 ।रीअक-01।03 इन्दौर दिनांक 14/10/2003

प्रति,

सचिव,
मा० राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर
ग वा लि य र.

विविध 1591-PBR/03

RP-1482
20/10/03

राजस्व मण्डल
क्र. 284
दिनांक 21-10-03
मध्य प्रदेश ग्वालियर

विषय:- आदेशों का पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत ।

-oo-

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि शासन निर्देशों के अनुपालन में चरनोई भूमि का 2 प्रतिशत रकबा छोड़कर शेष भूमि, भूमिहीनों को बंटन करने हेतु संलग्न सूची अनुसार प्रकरणों में नोई-यत परिवर्तन आदेश तत्कालीन पीठासीन अधिकारी व्दारा पारित किये जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु अधीनस्थ को भेजे गये थे ।

2।- इस संबंध में तहसील देपालपुर के राजस्व अधिकारियों व्दारा संलग्न सूची अनुसार प्रकरणों में पुन: प्रतिवेदन क्र०266।री2। दिनांक 7-10-03 प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि इन प्रकरणों में संलग्न सूची अनुसार दर्शित भूमि कृषि योग्य न होकर, उबड-खाबड एवं पथरीली होने से पुन: पूर्ववत् चरनोई मद में परिवर्तित करने का निवेदन किया गया है । मैं राजस्व अधिकारियों के प्रतिवेदन से सहमत हूं ।

3।- अस्तु अनुरोध है कि कृपया संलग्न सूची अनुसार कुल 20 प्रकरणों (बीस प्रकरण) में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी - व्दारा पारित आदेशों को पुनर्विलोकन के लिये जाने की अनुमति, म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51(1) के परन्तुक (एक) के अन्तर्गत प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित है । कृपया इन प्रकरणों में पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

क्रमांक RP1482
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 20-10-03 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

संलग्न :- उपरोक्तानुसार सूचीअनुसार
कुल 19 प्रकरण

अपर कलेक्टर,
जिला इन्दौर

न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा बेटमा तह० देपालपुर जि०इंदौर

क्रमांक/ 266 रीडर/2/03 बेटमा दि० 7/10/2003

प्रति,

श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय,

कलेक्टर कार्यालय इंदौर ।

विषय :- पूर्व में काबिल काश्त किये गये सर्वे नम्बरों में से अ-कृषियोग्य सर्वेनम्बरों को नाकाबिल काश्त करने बाबद ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय - कलेक्टर जिला इंदौर के पत्र क्र0- 1665/भू-अभि/2003 दिनांक 22-5-03 व्दारा यह निर्देश दिये गये है कि यदि किसी ग्राम में अ.जा./अ.ज.जा./ भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे पर दी गयी भूमि पथरीली, खराब या ऐसी है जिस पर पूर्व में कृषि कार्य करना मुश्किल है, पूर्व में श्रीमान की ओर से निम्नानुसार ग्रामोमे सर्वे नम्बरों को काबिल काश्त किया गया था, जिसमें संलग्न ~~विवरणानुसार~~ सूची अनुसार सर्वे नम्बर मौके जिस पर कंकरीली व पथरीली भूमि पायी गयी है - उन सर्वे नम्बरों को ना-काबिल काश्त कर पुन: चरनोई मद में किये जाने हेतु श्रीमान की सेवा में काबिल काश्त के मूल प्रकरण ग्रामवार योग्य कार्यवाही हेतु ~~अग्रेषित है~~ अनुविभागीय अधिकारी महोदय देपालपुर के माध्यम से अग्रेषित है।

ओ.
मूलत: स्वीकृति हेतु अग्रेषित
(हस्ताक्षर)
अनुविभागीय अधिकारी
देपालपुर-इंदौर

(हस्ताक्षर)
अधिकारी
तहसील बेटमा (देपालपुर)

क्र.	ग्राम का नाम	कलेक्टर महो. इन्दौर के प्र.क्र.	पूर्व में काबिल काश्त घोषित रकबा सर्वे नं.	रकबा	मद	ना-काबिल काश्त किये जाने का कारण ।
1	रामबड़ोदिया	237/A/74 2001-02	270/1	2.000	का. काश्त	पथरीली होने के कारण ।
2	गलोड़ा	56/A/74 2001-02	219/1	0.368	--"--	उबड़-खाबड़ होने के कारण ।
3.			219/2	0.461	--"--	----"------
3	धन्नड़	230/A/74 01-02	340/1	0.500	--"--	---"-----
4.	पिराखॉन	158/A/74 01-02	169/1	0.400	--"--	पथरीली होने के कारण ।
5.	औसरोद	53/A/74 01-02	54/2	1.347	--"--	---"-------
6.	रंगमलबिल्लौद	132/A/74 01-02	175/2	0.500	--"--	----"-----
7.	धरावरा	203/A/74 01-02	443/2	0.500	--"--	--"----
8.			250	0.615	--"--	उबड़-खाबड़ होने के कारण ।
			818	0.500	--"--	धार्मिक मेला स्थल होने से ।
			407/1	0.500	--"--	उबड़-खाबड़ होने के कारण ।
8	रामपुरिया	126/A/74 01-02	59/2	0.374	--"--	पथरीली होने के कारण ।
			67/4	0.100	--"--	----"-----
			67/3	0.500	--"---	----"-----
			54/3	0.200	--"--	------"----
9	भैठवाड़ा	51/A/74 01-02	557/4	0.703	-"-"-	गहरे गड्ढे होने से ।
			557/5	0.703	---"--	---"-----
			557/7	0.703	--"--	-----"----
			1/2	0.700	--"--	ईंट भट्टे एवं गड्ढे होने से ।
			1/5	0.700	--"--	----"-----
			1/7	0.700	--"--	----"------
10	गंगाजल खेड़ी	(1) 214/A-74 2001-02	105/1	1.335	--"--	उबड़-खाबड़ ।
11.		(2) 162/A-74 2001-02	106/1	0.579	--"--	----"----
			235/4	0.289	--"--	पथरीली होने से ।
12	अजेंदा	56/A/74 01-02	1/399	1.092	--"--	उबड़ खाबड़ होने से ।
		---"---	95/1	0.668	--"---	पथरीली होने से ।
13.		137/A/74 01-02	95/2	0.810	--"--	----"----
		56/A/74 01-02	103	0.081	--"--	----"---

क्र.	ग्राम का नाम	कलेक्टर म.हो. इन्दौर के प्र.क्र.	पूर्व में काबिल काश्त घोषित रकबा । सर्वे नं.	रकबा	मद	ना-काबिल काश्त किये जाने का कारण ।
14	गोहार	57/A/74 / 01-02	1	1.931	का. काश्त	पथरीली होने से ।
			52	0.636	--"--	उबड़-खाबड़ होने से ।
			54	1.040	--"--	मकान एवं रास्ता निकलने
			82/1	0.769	--"--	उबड़-खाबड़ होने से ।
			89	0069	--"--	----"----
15	सिकंदरी	202/A74 / 2001-02	141	0.721	--"--	उबड़-खाबड़ होने से ।
			144	0.506	--"--	----"----
			145	0.721	--"--	----"----
			146	0.304	--"--	----"----
			147	0.405	--"--	----"----
			148	0.235	--"--	----"----
			149	0.212	--"--	----"----
			22	0.902	--"--	----"----
16	नांद्रा	199/A.74 / 2001-02	53/2	0.501	--"--	उबड़-खाबड़ होने से
			326/2	0.500	--"--	----"----
17.		212/A.74 / 2001.2002	326/3	0.335	--"--	----"----
			498/7	0.237	--"--	----"----
			93/2	0.046	--"--	----"----
			117	0.454	--"--	----"----
18	बेगोलीहाय	① 22/A.74 / 01.02	287	1.502	--"--	--"--
			619	0.522	--"--	--"--
19	-	② 20/A.74 / 01.02	648/1	0.526	--"--	--"--

[illegible signature]

Misc 1591. PDR/03

6.8.2015 Issue Rowless 6/8/15	आवेदक की ओर से श्री [illegible] के ... अग्रवाल अभिभाषक उपस्थित। उन्हें सुना गया। अपर कलेक्टर के पत्र के संदर्भ 20 प्रकरणों चाही गई पुनर्विलोकन अनुमति दी जाती है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। [illegible] रीडर अध्यक्ष	H.K. Agrawal 6-8-2015 [illegible]